R-1527-PBR-14

न्यायालय राजस्व मण्डल , ग्वालियर – केम्प भोपाल

राजस्व निगरानी क्रमांक------

तुलसीराम पुत्र श्री निरपतसिंह आयु 75 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम वादीखेडी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 ---------- आवेदक / निगरानीकर्ता

वि0

1. चैनसिंह पुत्र श्री जमनाप्रसाद आयु वयस्क
2. नवलसिंह पुत्र श्री जमनाप्रसाद आयु वयस्क
3. परसराम पुत्र श्री जमना प्रसाद आयु वयस्क

सर्व जाति जाट
निवासी करोद कलां भोपाल जिला भोपाल
म0प्र0 । ---------- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

उपरोक्त निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्त न्यायालय नायब तहसीलदार बृत 3 हर्राखेडा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण कमांक 10 / अ–27 / 12–13 (चैनसिंह आदि वि0 जगन्नाथ आदि) में पारित आदेश / आर्डरशीट दिनांक 28.04.2014 जिसके द्वारा अनावेदक कमांक 2 तुलसीराम द्वारा प्रस्तूत आवेदन धारा 178ए–1 सहधारा 32 म0. प्र0भू–राजस्व संहिता को अमान्य किया गया हैं ,जिससे दुखी व असतुन्ष्ट होकर सत्व व ठोस आधारों पर निगरानी प्रस्तूत की जाती हैं ।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग —पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—5—2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 28—4—2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 ए एवं धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के उभयपक्ष सह खातेदार हैं । संहिता की धारा 178 ए भूमिस्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में विधिक वारिसानों के मध्य भूमि का बंटवारा कराने से संबंधित होने से धारा सह खातेदारों पर लागू नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि उभयपक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सहखातदार है और सहखातेदारों को संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा कराने की अधिकारिता है । उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	